तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
26-05-26	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। प्रति. सं. 1 लगा. 4, 6, 7, 9 लगा. 12, [illegible] अवसर के बाद भी [illegible] 29, 33 द्वारा जवाब पेश नहीं किया। अतः उनका जवाब बन्द किया जाता है। बहस पर सुना गया। पत्रावली का [illegible] इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड का भली भांति अवलोकन किया गया। जिससे हम इस नतीजे पर पहुँचे है कि विवादित आराजीयात का कोई बीच सरहदी बाउण्ड्री विभाजन नहीं हुआ है। अतः सहखातेदारान का प्रत्येक इंच पर कब्जा माना जाना वाजिब है। अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के हक में प्रतीत नहीं होता है। चूंकि पक्षकारान सहखातेदारान है, उनके हकों का निर्धारण दावे में कुरेजात रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात एवं गुणावगुण के आधार पर हो सकेगा। तब तक अन्य सहखातेदारान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नहीं समझते है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 212 RTA इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो तथा संलग्न मूल वाद हो। उपखण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर) राज०